(वाद सं0– 7259/4/36/2021-AD)

06.02.2024

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, गायत्री देवी, के पति, विश्वनाथ चौधरी, को पुलिस द्वारा जातिगत दुर्भावना से गिरफ्तार कर, पुलिस अभिरक्षा में प्रताड़ित कर, उसकी हत्या किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी से प्रतिवेदन की माँग की गयी। पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के द्वारा सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के **मजिस्टेरियल इन्कवायरी रिपोर्ट** की प्रति भेजकर यह सूचित किया गया कि मृत्तक बंदी, विश्वनाथ चौधरी, के परिवार को नियमानुसार 04 लाख रूपये की अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

Magisterial Enquiry Report में न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, श्री गुरूदत्त शिरोमणि, द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि :–

“On the basis of the enquiry conducted by me from the above made discussion, I am of the opinion that the cause of death of the accused namely Vishwanath Chaudhary, Son of Late Etwari Chaudhary, R/o- Kamla Garden Binwa Tola, P.S.- Sitamarhi (Mehsaul OP) Dist.- Sitamarhi, who had died in police custody was “accute myocardial infraction leading to cardio respiratory failure” which in common parlance may also be said as heart attack and there is no any cogent material available on record which could prove otherwise.”

तत्पश्चात PUCL, सीतामढ़ी यूनिट की ओर से प्रसंगाधीन मामले में उनके द्वारा किये गये जाँच के आलोक में दिये गये आवेदन पर प्रसंगाधीन मामले में संचिका के साथ उपलब्ध मृत बंदी, विश्वनाथ चौधरी, के मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम को जाँच करने का राज्य आयोग द्वारा निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में प्रसंगाधीन संचिका को निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना को विशेषज्ञ चिकित्सकों की जाँच टीम द्वारा जाँच करवाने हेतु भेजा गया।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के चिकित्सकों का जाँच प्रतिवेदन संचिका के (पृष्ठ 57–53/प0) पर रक्षित है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के चिकित्सक, डॉ0 विनय कुमार, द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है किः–

1. Althouth autopsy was not complete but from the available finding death can be concluded due to congestive cardiac failure.
2. No comment can be given regarding findings in the brain and abdominal cavity.
3. No Evidence of any medical or administrative negligence is evident from available document.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के जाँच प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि मृत बंदी, विश्वनाथ चौधरी, के ईलाज में कोई प्रशासनिक व चिकित्सीय लापरवाही का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है, तथा मृत्तक की मृत्यु को स्वाभाविक मृत्यु माना जा रहा है।

अब जबकि मृत्तक विश्वनाथ चौधरी, की मृत्यु स्वाभाविक प्रतीत होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उक्त पर अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन परिवाद को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 57–53/प0) की प्रति संलग्न कर, परिवादी सहित PUCL सीतामढ़ी यूनिट के सुनील कुमार, बसबरिया, कृष्णानगर, सीतामढ़ी, पिन–843302 को सूचनार्थ उपलब्ध करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव